कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006
ई:मेल : uttarakhandslna@gmail.com
बेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in
फोन न0. 0135-2768712, 2760362
फैक्स न0. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक /1 – 2 / P.F. / Budget / 2011 / देहरादून दिनांक :13, सितम्बर, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डैम–II प्रभाग उत्तरकाशी)
सदस्य सचिव,
डी0डब्लू0पी0एम0यू0
जनपद उत्तरकाशी.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना क़ोष धनराशि का आवंटन।

सन्दर्भ : इस कार्यालय के पत्रांक 181/1–2/ P.F. (Budget) / 2011 / दिनांक 19.07.2011 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके जपनद से IWMP के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु तीन परियोजनाये स्वीकृत हुई है, उत्तरकाशी IWMP-II की कार्यदायी संस्था द्वारा DPR प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने के कारण इस परियोजना की DPR Preparation की धनराशि पूर्व में हस्तान्तरित नही की गई थी, उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्रांक 917/1–1/दिनांक 01.09.2011 से अवगत कराया गया है कि इनके प्रभाग में कार्यरत सहायक वन संरक्षक द्वारा DPR की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। जिस क्रम में IWMP-II उत्तरकाशी को निम्न प्रकार बजट आवंटन किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uttarkashi (IWMP)-II/ 10-11	Deputy Director, Wildlife Govind Pasu Vihar, Uttarkashi	934.95	4.67475	18.69900	5.14223	1.58942	0.74796	30.85335
	District Total		**934.95**	**4.67475**	**18.69900**	**5.14223**	**1.58942**	**0.74796**	**30.85335**

1. तलिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।

4. तालिका के कालम नं0 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Instituional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी सस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यो में उपयोग हेतु आंवटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिर्पोट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगतिं एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीध्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा–जोखा अलग–अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp-uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 542 / 1 – 2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
3. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।
4. उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक 917/दिनांक 1.9.2011 के क्रम मे सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006
ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
बेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in
फोन न0. 0135-2768712, 2760362
फैक्स न0. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 678 / 1 – 2 / P.F. / Budget / 2011 / देहरादून दिनांक : 19 सितम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल
सदस्य सचिव,
डी0डब्लू0पी0एम0यू0
जनपद नैनीताल.

विशय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मन्त्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रॉश की धनराशि का आंवटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)–4% विस्तृत परियेाजना रिर्पोट (DPR)–1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास–1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना / कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तो के अनुसार निम्न प्रकार आंवटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nainital (IWMP)-I/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Nainital	689.40	3.44700	13.78800	3.79170	1.17198	0.55152	22.75020
2	Nainital (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Nainital	878.10	4.39050	17.56200	4.82955	1.49277	0.70248	28.97730
3	Nainital (IWMP)-III/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Nainital	975.75	4.87875	19.51500	5.36663	1.65878	0.78060	32.19975
	District Total		**2543.25**	**12.71625**	**50.86500**	**13.98788**	**4.32353**	**2.03460**	**83.92725**

1. तलिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।

4. तालिका के कालम नं0 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Instituional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि क्रमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यो में उपयोग हेतु आंवटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिर्पोट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा–जोखा अलग–अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp-uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

/

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 678 / 1 – 2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाऐ।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006
ई:मेल : uttarakhandslna@gmail.com
बेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in
फोन न0. 0135-2768712, 2760362
फैक्स न0. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक /1 – 2 / P.F. / Budget / 2011 / देहरादून दिनांक : सितम्बर, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
सदस्य सचिव,
डी0डब्लू0पी0एम0यू0
जनपद बागेश्वर.

विशय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंन्त्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रॉश की धनराशि का आंवटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)–4% विस्तृत परियेाजना रिर्पोट (DPR)–1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास–1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तो के अनुसार निम्न प्रकार आंवटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bageshwar (IWMP)-I/ 10-11	Divisional Forest Officer, Bageshwar	708.75	3.54375	14.17500	3.89813	1.20488	0.56700	23.38875
2	Bageshwar (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Bageshwar	785.70	3.92850	15.71400	4.32135	1.33569	0.62856	25.92810
3	Bageshwar (IWMP)-III/ 10-11	Divioional Forest Officer, Bageshwar	629.40	3.14700	12.58800	3.46170	1.06998	0.50352	20.77020
	District Total		**2123.85**	**10.61925**	**42.477**	**11.68118**	**3.61055**	**1.69908**	**70.08705**

नोट : बागेश्वर IWMP-IV/10-11 की कार्यदायी संस्था चयन होने के उपरान्त धनराशि का हस्तानान्तरण किया जायेगा।

1. तलिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।

2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
4. तालिका के कालम नं0 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Instituional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी सस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियेाजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यो में उपयोग हेतु आंवटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिर्पोट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीध्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा–जोखा अलग–अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp-uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक /1–2/P.F./Budget/2011/ दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाऐ।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी